

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं० 51/2017- सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 30 जून, 2017

सा.का.नि. .... (अ)– केंद्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1944 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सा०का०नि० सं० 194 (अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 21/2012, सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जो ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई है या करने का लोप किया गया है, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद में आने वाले, नीचे सारणी के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट वर्णन के माल को, जब उसका आयात भारत में किया जाता है, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट है, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट प्रदान करती है, जो उक्त सारणी के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट मानक दर से संगणित रकम से अधिक है।

#### सारणी

क्र.सं.	पहली अनुसूची का अध्याय, शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का वर्णन	मानक दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1	27	अपरिस्कृत पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम गैस और ईंधन	कुछ नहीं
2	27	परिवहन सेक्टर में उपयोग के लिए संपीडित प्राकृतिक गैस	कुछ नहीं

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. 354/119/2017-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)  
अवर सचिव, भारत सरकार